भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या : **235**

गुरुवार, 22 दिसंबर, 2022/ 1 पौष, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>विमानन क्षेत्र को हानि</u>

* **235. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन उद्योग को वित्त वर्ष 2022- 2023 के दौरान 15,000 से 17,000 करोड़ रुपये की निवल हानि होने का अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग को हुए नुकसान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विमानन उद्योग को लाभदायक बनाने और इस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए किन्हीं रियायतों का प्रस्ताव दिया है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)</u>

(क)से (ड.) तक: एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

विमानन क्षेत्र को हानि" के संबंध में, लोकसभा के दिनांक 22.12.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में दिया गया वक्तव्य

(क) विमानन उद्योग को होने वाले लाभ/हानि के वास्तविक आंकड़े, वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में लेखा परीक्षित खाता उपलब्ध होने पर ही ज्ञात होंगे।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान विमानन उद्योग को हुए नुकसान का विवरण, इस प्रकार है: वित्त वर्ष 2019-20 में 4770 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2020-21 में 12479 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 में 11658 करोड़ रुपये। उद्योग को होने वाले नुकसान के प्रमुख कारण हैं- विश्वभर में कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न व्यवधान, मुद्रा मूल्यह्रास (अमरीकी डॉलर/ भारतीय रुपया), विशेषतया एटीएफ़ की कीमतों, जो एयरलाइन की प्रचालनिक लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है, में वृद्धि के कारण प्रचालन की उच्च लागत, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, मूल्य वर्धित कर (वैट) एवं उत्पाद शुल्क में वृद्धि तथा यूक्रेन - रूस युद्ध। एयरलाइनें, लागत में वृद्धि के पूर्ण प्रभाव के भार को, यात्रियों पर डालने में असमर्थ थीं।

(ग) से (ड.) एयरलाइनें और प्रमुख हवाईअड्डे, गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रचालित किए जाते हैं और वे लागत कम करने तथा लाभप्रदता के उद्देश्य से अपनी स्वयं की मानक प्रचालनिक प्रक्रियाएँ विकसित करते हैं। तथापि, सरकार ने एयरलाइनों की सुविधा हेतु कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार की उड़ान योजना, देश के विमानन उद्योग के लिए गेम-चेंजर (game-changer) है। उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक योजना, एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है जिसका उद्देश्य आम जनता के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और किफ़ायती बनाना है। वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतर निधियन) के रूप में दिया गया, बढ़ा हुआ वित्तीय समर्थन, ईंधन दरों और लैंडिंग/पार्किंग चार्जेस पर रियायत और अपरिचालित हवाईअड्डों की अवसंरचना के विकास ने, न केवल विशाल एयरलाइन कंपनियों के प्रचालन को बढ़ावा दिया है अपितु, क्षेत्रीय स्टार्ट-अप एयरलाइनों, जैसे मैसर्स स्टार एयर और मैसर्स इंडिया वन एयर तथा मैसर्स फ्लाईबिग की भागीदारी को भी आगे बढ़ाया है, जो बहुत अच्छी तरह से प्रचालन कर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

I) एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर उच्च मूल्य वर्धित कर (वैट) लेने वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को एटीएफ पर लगने वाले वैट में कमी करने को कहा गया था। परिणामस्वरूप, 16 राज्यों ने वैट में 1- 4 प्रतिशत तक की कमी कर दी है (i) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, (ii) उत्तराखंड, (iii) जम्मू एवं कश्मीर, (iv) लद्दाख, (v) हिमाचल प्रदेश, (vi) त्रिपुरा, (vii) मध्य प्रदेश, (viii) हरियाणा, (ix) उत्तर प्रदेश, (x) दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, (xi) अरुणाचल प्रदेश, (xii) मणिपुर, (xiii) झारखंड और (xiv) मिजोरम ने एटीएफ पर वैट को 5 प्रतिशत से कम कर दिया है और (xv) गुजरात तथा (xvi) कर्नाटक ने अपने राज्यों में एटीएफ पर वैट क्रमश: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत घटाया है।

II) घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है ।

III) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) और अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ताओं ने, अगले पाँच वर्ष में हवाईअड्डा क्षेत्र में मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार एवं रूपांतरण, नए टर्मिनलों के निर्माण, अन्य गतिविधियों के साथ रनवे के सुदृढीकरण हेतु, लगभग 98,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का लक्ष्य रखा है।

IV) सरकार ने, विमानन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मंजूरी दे दी है। उद्योग जगत की मांग के आधार पर, इन कंपनियों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए ईसीएलजीएस के दायरे को बढ़ाया गया है, ताकि संदर्भ तिथियों (reference dates) के अनुसार उनके कुल बकाया ऋण (दोनों, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित बकाया) की 100 प्रतिशत राशि तक को क्रेडिट समर्थन दिया जा सके, बशर्ते प्रति उधारकर्ता यह राशि 1500 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

****